न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्रीमति शिल्पा सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 95 / 2020 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 15.07.2020	तारीख फैसला 16.08.2021

उनवान

श्रीमति मांगीदेवी पत्नी सोहनलाल धाकड़ निवासी मूंहल्ला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
– प्रार्थीया

बनाम

1– रामलाल पुत्र नारायण कुम्हार निवासी मूंहल्ला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– मु. प्रेमी पुत्री नारायण पत्नी लादू कुम्हार निवासी मण्डाचर तहसील जहाजपुर
3– मु0 सजनी पुत्र नारायण पत्नी देबी कुम्हार निवीस इन्दोकिया तहसील जहाजपुर
4– मु. हजनी उर्फ सजनी पत्नी जगदीश जाट निवासी मूंहला तहसील शाहपुरा
5– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री जयंत ओझा :– अभिभाषक प्रार्थीया

निर्णय

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थिया की कृषि भूमि आराजी नं. 837 रकबा 0.56 है0 ग्राम मूहंला में स्थित है। जिसमें प्रार्थिया खरीद के समय से निरन्तर काश्त करती चली आ रही है। गत खरीफ की फसल में उड़द और उसके पश्चात गत रबी में चने की फसल काश्त की। इस प्रकार प्रार्थिया उक्त जमीन पर निरन्तर बिना किसी व्यवधान के काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थिया की आराजी नं. 837 तथा अराजी नं. 843, 836 पर जाने को लिये विपक्षी सं. 01 लगायत 04 की कृषि भूमि आराजी नं. 831 के पूर्वी दिशा में तारबंदी नहीं करते हुए करीब 15 फीट चौड़ा रास्ता उत्तर रास्ते से दक्षिण की तरफ प्रार्थिया के खेतों में जाने हेतु छोड़ा जो आज भी मौके पर मौजूद है। प्रार्थिया की विपक्षीगणों की एवं अन्य सहखातेदारों की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस एवं फोटोग्राफ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत किये जा रहे है। करीब 8–10 माह पूर्व प्रार्थिया, विपक्षीगण 01 लगायत 04 तथा आरजी नं. 842 एवं 836 के खातेदारों ने मिलकर इन चारों जमीनों पर कंटीले तार एवं जाली लगवा ली और पिल्लर लगाकर जमीन को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया। किन्तु विपक्षी सं. 01 एवं उसके सहखातेदारों ने अभी गत रबी में चने की फसल तैयार होने के बाद फसल को लाते समय विवाद किया और कहा कि मैं इस रास्ते से नहीं निकलने दूंगा। प्रार्थिया के खेत पर जाने का यही एक मात्र रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। यदि विपक्षीगणों ने प्रार्थिया के इस एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया तो प्रार्थिया अपनी कृषि भूमि आरजी नम्बर 837 के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगी और प्रार्थिया को भारी अपूर्ति योग्य क्षति होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया को आराजी नं0 831 में पूर्व दिशा में उत्तर रास्ते से आराजी नं. 837 तक 15 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित करने की तथा रास्ते के रूप में ली गई भूमि के मूल्य की राशि न्यायालय श्रीमान जमा कर

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश विपक्षीगण नं. 05 को दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 07.09.2020 को विपक्षी सं0 01 उपस्थित हुआ। अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र राजीनामा प्रस्तुत किया जो खारिज किया जाकर प्रकरण बईंतराज सम्मन विपक्षीगण स0 02 व 03 के नियत किया गया। दिनांक 12.10.2020 को विपक्षीगण सं0 2 व 3 की जरिए रजिस्टर्ड एडी से तलबी की गयी जिसकी प्राप्ति रसीद दिनांक 11.11.2020 को प्राप्त हुई। दिनांक 12.01.2021 को विपक्षीगण सं0 01 लगायत 04 को विधिवत आवाज दिलवाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 27.04.2021 को तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 182 दिनांक 09.04.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 16.08.2021 को प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीया की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थीया ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीया अपनी खातेदारी की आराजी 837, 843, 836 पर जाने जाने हेतु आराजी नम्बर 831 के उत्तरी पूर्वी काने से रास्ता चाहती है जो वर्षों से मौजूद है। उक्त रास्ते से निकलने हेतु विपक्षीगण द्वारा मना दिया गया जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है उसी अनुसार प्रार्थीया को रास्ता दिलाया जावे प्रार्थीया डीएलसी अनुसार रास्ते की राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर रास्ते का आदेश करते हुए राजस्व नक्शे एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने के आदेश बक्षावें।

बहस पर मनन, प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक आमली कलां की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर आराजी नम्बर 831 के पूर्वी उत्तरी व पश्चिमी मेड़ पर तारबंदी की हुई है तथा पूर्वी मेड़ पर आने जाने के लिए रास्ता के निशान बने हुए होकर रास्ता को जाली लगाकर बंद कर रखा है। यह रास्ता आराजी नम्बर 837 के लिए लघुतम रास्ता है तथा इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

अतः भू0अ0निरीक्षक मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी पर पहुंच हेतु निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिया जाना है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	आराजी नम्बर	कुल रकबा है0 में	रास्ते हेतु वांछित भूमि ल. × चौ. वर्ग फीट में	रकबा वर्ग फीट में	रकबा है0 में
1.	रामलाल प्रेमी सजनी पिता नारायण कुम्हार हजनी उर्फ सजनी पत्नी जगदीश गुर्जर सा0 मूहंला	831	0.63	92 × 13	1196	0.0112

(4)

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मुंहल्ला प0म0 शिवपुरी तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी 837 तक पहुंचने हेतु विपक्षी सं0 01 लगायत 04 की आराजी सं0 831 रकबा 0.63 है0 में से 92 फीट लम्बा × 13 फीट चौड़ा रास्ता हेतु 0.0112 है0 भूमि की आवश्यकता होगी। उक्त भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की दुगनी राशि संबंधित काश्तकार को भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.08.2021 सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा(भीलवाड़ा) राज.

(शिल्पा सिंह)
आई०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा(भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :—

तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रास्ते हेतु वांछित भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की दुगनी राशि प्रार्थीया से वसूल कर विपक्षीगण 1 लगायत 4 को भुगतान करने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम की कार्यवाही करें।

संलग्न :— नक्शा ट्रेस की प्रति

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा(भीलवाड़ा) राज.